ग्राम पंचायत दुर्गेठी, विकास खण्ड व तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधिः-01-04-2015 से 31-03-2018

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावनाः-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत दुर्गेठी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया l

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः-

प्रधानः-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति कुन्तो देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री सुरेश कुमार	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति स्वर्णा देवी	12-06-14 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.10
2.	6	अनुदान राशियों का अवरोधन	14.96

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः-

ग्राम पंचायत दुर्गेठी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती

अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04-06-2018 से 11-06-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय दुर्गेठी में किया गया l आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 08 /15 ,03/17 व 09/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 01/16, 02/17 व 12/17 को चयनित किया गया l

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है l उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा l

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत दुर्गेठी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 4/15 से 3/18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹7200 बनता है l उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:148 दिनांक 11-06-17 द्वारा सचिव, पंचायत दुर्गेठी से अनुरोध किया गया l

4 **वितीय स्थिति:-** ग्राम पंचायत दुर्गेठी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/15 से 3/18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क}स्व स्त्रोत :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	559488	92333	651821	15746	636075
2016-17	636075	58633	694708	12578	682130
2017-18	682130	40917	723047	57759	665288

{ख}अनुदान :- ग्राम पंचायत दुर्गेठी के अवधि 4/15 से 3/18 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	787039	1900680	2687719	2146560	541159
2016-17	541159	6231584	6772743	5191607	1581136
2017-18	1581136	3164955	4746091	3249773	1496318

दिनांक 31-03-18 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण:-

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HGB Durgethi	99101301002709	48274
2.	----do------	99101700002179	134147
3.	----do-----	99101700000163	41933
4.	-----do-----	99101700000172	17773
5.	------do-----	99101700000154	12042
6.	------do----	99101700000145	1020018
7.	HPSCB Garola	18410100460	763916
8.	PNB Bharmour	0567000100663947	123439
9.		cash in hand (gen)	64
		TOTAL	**2161606**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-18 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 2161606

(ख) दिनांक 31-3-18 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):-₹2161606

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत दुर्गेठी की रोकड़ वहीयों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था l सचिव द्वारा उक्त वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ वही व पास बुकों का मिलान नहीं किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया ,जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 7 (3)एवं 10(1)के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था l अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है l अत: भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये l

5 पंचायत राजस्व ₹0.10 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-18 तक पंचायत राजस्व ₹9880 वसूली हेतु शेष था, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए l

गृहकर : –

वर्ष	**आ0शेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2015-16	0	7900	7900	2840	5060
2016-17	5060	8100	13160	10760	2400
2017-18	2400	8180	10580	700	9880

6 अनुदान ₹14.96 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹1496318 उपयोग हेतु शेष थी l ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा l अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं0 145 दिनांक 11-06-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत दुर्गेठी को अवगत करवाया गया परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए l

7 निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा दर्शाए जाने के कारण सीमेंट के रूप में ₹0.49 लाख का पर अधिक व्यय करने बारे :-

निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा दर्शाए जाने के कारण निम्न विवरणानुसार सीमेंट पर **₹49136** का अधिक व्यय किया गया :-

(क)C/O Panihara nirman dhib mindra :-MB NO.26820 PAGE 92 (13FC)

मद का नाम निर्धारित मानको के अनुसार सीमेंट की मात्रा

C.C 1.3.6 =3.59m3X4.4 = 16 bag cement

Plaster work (1.6) (20mm) 10.30sqm x 0.112 = 2 bag cement

18

सीमेंट की खरीद 26 बैग (वा.सं. 6 माह 12/16)26-18 =8x365 = 2920

(ख)c/o Public toilets at hut :-M.B NO. 2414 PAGE 70,71 (14FC)

C.C (1.2.4) =1.51m3x 6.4= 10 bag

Brick work(1.6)=12.95m3x1.20 = 16 bag

Plaster work 20mm(1.6)34.55 x 0.112 = 4 bag

30bag

सीमेंट की खरीद 76 बैग वा0सं03 माह 06/17)76-30= 46x380= 17480

(ग)c/o Public toilets at gps mindra :-M.B NO. 2414 PAGE 70,71 (14FC)

C.C（1.2.4）=1.51m3 x 6.4= 10 bag

Brick work(1.6)=12.95m3x1.20 = 16 bag

Plaster work 20mm(1.6)34.55x 0.112 = 4 bag

30bag

सीमेंट की खरीद 76 बैग वा0सं03 माह 06/17) 76-30=46x380= 17480

(घ)c/o Gramin foot path at durghetha :-M.B NO. 2414 PAGE 68 :-(14FC)

सीमेंट की खरीद 76 bag (वा0सं0 05 माह 06/17) = 56bag

सीमेंट का उपयोगM.B no 2414 page 68 अनुसार = 38bag

18bag x 380 = 6840

(ङ.) C/O railing basan to channan pat :- M.B NO 2414 PAGE 64:-(Nucles)

C.C（1.2.4）=2.06m3 x 6.4= 13 bag

Plaster Work 20mm(1.6)42.90x 0.112 = 5 bag

18 bag

सीमेंट की खरीद 30 bag (वा सं .34 माह 12/17 व 2 of 06/16)30-18=12x368= 4416

कुल अधिक व्यय :- ₹49136

ऑडिट द्वारा अंकेक्षण अधियाचना सं 146 दिनांक 11-06-18 द्वारा पंचायत सचिव को अवगत करवाया गया व सचिव द्वारा उक्त राशि की वसूली रसीद सं0 दिनांक द्वारा कर ली गई है जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा भरमौर में उक्त रसीद की जाँच व सचिव ग्राम पंचायत के पत्र सं0 दिनांक 19-06-18 द्वारा कर ली गई है l भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाना सुनिश्चित किया जाए l

8 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए l

9 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l

10 **लघु-आपति विवरणिका:**-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है l

11 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है l

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (xv)(vii) 32/2018 खण्ड–1–6422–6425 दिनांक 4.10.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत दुर्गेठी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881